

**कार्यालयीन उपयोग हेतु**

1. निविदा प्रपत्र का अनुक्रमांक: .....
2. निविदा प्रपत्र जारी करने का दिनांक : .....
3. निविदा प्रपत्र जारी करने वाले अधिकारी  
के हस्ताक्षर उवं सील : .....

## **उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान**

**पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड**

**जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)**

**फोन : 0761 - 2840010**

### **निविदा प्रपत्र**

#### **कार्य क्रमांक (1)**

33/0.433 के.व्ही. विघुत सब स्टेशन के चालन उवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही. उ., 62.5 के.व्ही. उ. उव 26 के.व्ही. उ. डीजल जनरेटर के चालन उवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत उल.टी./उच.टी., ओ.उच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय उवं गैर आवासीय भवनों में लघी विघुत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

निविदा जमा करने की तिथि उवं समय : 27/02/2018 समय : दोपहर 03.00 बजे तक

निविदायें खोलने की तिथि उवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.15 बजे से

# उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

## निविदा प्रपत्र भरने उवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश

1. निविदा प्रपत्र की फोटो प्रति मान्य नहीं है। आतः निविदा भरने हेतु संस्थान से प्राप्त किये गये मूल निविदा प्रपत्र का ही उपयोग करें। बैबराईट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹.500/- का बैंक ड्राफ्ट Director, TFRI, Jablapur के नाम जो जबलपुर में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा उक्त निविदा प्रपत्र अमान्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा की शर्तों तथा समय-शर्ती का अलीग्रामित अध्ययन करें। इस संबंध में अन्य जानकारी, स्पष्टीकरण उवं स्थल निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अधिकारी से दूरभाष (क्र.- 0761-2840010) अथवा व्यक्तिगत ₹५० से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र को साफ-साफ भरें। कहीं भी ओवर राईटिंग नहीं करें। यदि कहीं पर सुधार करना है तो पहले की गई प्रविष्टी को पूरा काटकर नई जानकारी लिखें उवं वहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी करें।
4. निविदा प्रपत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करें। यदि कोई प्रविष्टि आपसे संबंधित नहीं है तो उसको भी खाली नहीं छोड़ें बल्कि वहाँ पर “लाभू नहीं” अंकित करें।
5. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिश्रूति राशि का बैंक ड्राफ्ट लगाना ज भूलें।
6. निविदा की शर्तों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। साथ ही निविदा के प्रत्येक पृष्ठ के बायें नीचे कोने पर भी हस्ताक्षर करें।
7. निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे में छिमान्ड ड्राफ्ट तथा अन्य दस्तावेजों को लिफाफे में रखकर बंद करें। निविदा के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आपूर्ण निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। इस लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा निविदा खोले जाने की तारीख अंकित करें। साथ ही बायें नीचे के कोने पर अपना नाम उवं पूर्ण पता अंकित करें।
8. कृपया यह सुनिश्चित करें कि निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि तथा समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जाय। निविदा प्रस्तुत करते समय कार्यालय से पावती प्राप्त करें। निर्धारित तिथि उवं समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी। समय के सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
9. उक्त लिफाफे में उक्त से अधिक निविदा प्रपत्र नहीं रखें। प्रत्येक कार्य हेतु आलग-आलग निविदा प्रपत्र उवं लिफाफे का उपयोग करें।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

# उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

फोन : 0761 - 2840010

## निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा करने की तिथि उवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.00 बजे तक ।

2. निविदायें खोलने की तिथि उवं समय : 27/02/2018, समय : दोपहर 03.15 बजे से ।

3. कार्य का नाम :

33/0.433 कै.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन उवं रख-रखाव कार्य, 100 कै.व्ही.ए. 62.5 कै.व्ही.ए. उवं 26 कै.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन उवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत उल.टी./उच.टी., औ.उच. पॉवर लाईन, फीडर खग्भों तथा संस्थान के आवासीय उवं गैर आवासीय शवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य ।

4. कार्य का विस्तृत विवरण : उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

- (i) विद्युत सब स्टेशन जिसमें 2 x 750 कै.व्ही.ए. तथा 2 x 315 कै.व्ही.ए. आउट डौर तथा इन डौर ट्रॉफार्मर तथा उससे जुड़े हुए अन्य उपकरण शामिल हैं, के चालन उवं रख-रखाव कार्य ।
- (ii) 100 कै.व्ही.ए., 62.5 कै.व्ही.ए. उवं 26 कै.व्ही.ए. के डीजल जनरेटर सेट उवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के चालन उवं रख-रखाव का कार्य ।
- (iii) परिसर अन्तर्गत उल.टी./औ.उच. लाईन, कैबल लाईन तथा उससे जुड़े हुए खग्भों तथा स्ट्रीट लाईट उवं कम्पाऊन्ड लाईट के चालन उवं रख-रखाव का कार्य ।
- (iv) संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय उवं गैर आवासीय शवनों में लगी विद्युत सामग्री - पंखों, लाईट, उजास्ट फेन, प्वाईन्ट, प्लग प्वाईन्ट, पावर प्वाईन्ट, इनर्नल वाईरिंग, मैन सिवच, उम.सी.व्ही., विद्युत मीटर आदि के रख-रखाव का कार्य ।

5. समय-शरणी :

- (i) विद्युत सब स्टेशन उवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के रख-रखाव हैं तौबीस घंटे रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा ।
- (ii) अन्य कार्यों के लिए सुबह 8.00 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे तक रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा ।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

6. निविदाकार का विवरण :

- (i) निविदाकार का नाम (यदि फर्म है, तो फर्म का नाम) : .....
- (ii) निविदाकार के पिता का नाम  
(यदि फर्म है तो फर्म के प्रौप्राइटर/आधीकारों के नाम) : .....
- (iii) पत्र व्यवहार का पता : .....
- (iv) फैन नम्बर : .....
- (v) निविदाकार की श्रेणी/कैटेगरी : .....
- (vi) पंजीयन विवरण :  
(अ) विभाग का नाम, जिसमें ठैकेदार के लिए में पंजीकृत है : .....
- (ब) पंजीयन क्रमांक : .....
- (स) पंजीयन समाप्त होने की तिथि : .....

7. पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में विद्युत रख-रखाव के

२०. 2.00 लाख प्रतिवर्ष से ऊपर के सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये ठैकों का विवरण :

अ.क्र. शासकीय विभाग/उपक्रम का नाम ठैका अवधि ठैके की राशि

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

8. वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रस्तावित निविदा मूल्य :

- (अ) अंकों में - .....
- (ब) शब्दों में - .....

9. प्रतिशूलि राशि जमा करने का विवरण :

- (अ) बैंक ड्राफ्ट नम्बर : .....
- (ब) बैंक ड्राफ्ट जारी करने की दिनांक : .....
- (स) बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम तथा शाखा : .....
- (द) बैंक ड्राफ्ट की राशि : .....

10. संख्यन किये गये प्रपत्र (जो लागू नहीं हो उसको कृपया काट दें) :

- (1) प्रतिशूलि राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट
- (2) पाटनशिप डीड, पॉवर आफ उटार्नी की प्रति
- (3) ठैकेदार के लिए में पंजीयन का प्रमाण-पत्र
- (4) आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर विलयरेन्स सर्टिफिकेट
- (5) पिछले तीन साल में किए गये रख-रखाव कार्यों के प्रमाण-पत्र : .....
- (6) अन्य प्रपत्र : .....

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

# उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

## निविदा शर्ते

### (1) कार्य का नाम :

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशनों के चालन उवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.ए., 62.5 के.व्ही.ए. उवं 26 के.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन उवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर के अन्तर्गत उल.टी. /उच.टी., औ.उच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय उवं बैर आवासीय शवर्नों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य।

### (2) पात्रता :

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचार्ह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, थामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत विद्युत ठेकेदार के ल्प में उचित श्रेणी (२.२.० लाख से उपर) में पंजीकृत होना चाहिये। केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रम अन्तर्गत पंजीकृत उचित श्रेणी के विद्युत ठेकेदार श्री निविदा भारते हेतु पात्र है। इसके अतिरिक्त इस कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति श्री इस कार्य के पात्र रहेंगे।

(ii) निविदाकार को पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों हेतु 33 के.व्ही विद्युत सब स्टेशन के रख-रखाव के २. 2.00 लाख से ऊपर के वार्षिक रख-रखाव के ठेकों को संतोषजनक ल्प से पूरा करने अथवा 33 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के स्थापना के २.2.00 लाख से उपर के ठेकों को नियादित करने का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्य आदेश उवं कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा किये जाने का सकाम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर किलयरेन्स सर्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

(iv) यदि निविदाकार फर्म के ल्प में पंजीकृत है तो फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड उवं पावर ऑफ उटार्नी की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

### (3) प्रतिशूति राशि :

(i) निविदा के साथ २५,०००/- (ल्पये पच्चीस हजार मात्र) का शेड्यूल बैंक द्वारा “**Director, TFRI, Jabalpur**” के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट विज्ञापन द्विनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये।

(ii) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिशूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

(iii) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पॉच उवं छः के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने उवं परफार्मेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उसको प्रतिशूति राशि वापिस कर दी जायेगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

- (4) निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को आथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत आथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से उक सप्ताह के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ उक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा सफल निविदाकार के अनुरोध पर उक सप्ताह के लिए और बढ़ा सकते हैं, यदि वे निविदाकार द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट हैं।
- (6) **परफार्मेंस सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर आथवा ₹. 25,000/-, इनमें से जो भी अधिक है, परफार्मेंस सिक्यूरिटी कॉल डिपॉजिट आथवा बैंक व्यारंटी के ८५ में जो कि अनुबन्ध की दिनांक से 24 माह तक के लिए वैध होगी, जमा करनी होगी।
- (7) **प्रतिशूलि राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से उक सप्ताह के अन्दर निविदा शर्ते क्र. 5 उवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं उवं परफार्मेंस सिक्यूरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिशूलि राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
- (8) **कार्य आदेश:** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेंस सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
- (9) **निविदा की अवधि :**
- (i)** निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के अगले माह की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी।
  - (ii)** यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि आपसी शहमति उवं कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्ते उवं पूर्व की स्वीकृत दर पर छ: - छ: माहों के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- (10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**
- (i)** यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से परफार्मेंस सिक्यूरिटी की आंशिक आथवा पूर्ण राशि राजसात कर सकेंगे। साथ ही निविदाकार को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।
  - (ii)** यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है उवं नौटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे उक सप्ताह के नौटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेंस सिक्यूरिटी को पूर्ण आथवा आंशिक ८५ से राजसात कर सकेंगे।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

- (11) **शुगतान का तरीका :** ठेकेदार को शुगतान सामान्यतः मासिक २५प से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की तीन तारीख तक विगत माह का शुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। शुगतान की दर, वार्षिक निविदा दर के 1/12 के बराबर होगी। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी माह शुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के व्याज आथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।
- (12) **श्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को शुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसन्धान श्रोत पर ही आयकर की कटौती की जायेगी।
- (13) **रखारखाव कर्मियों का नियोजन :**
- (i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु पांच रखारखाव कर्मी, जिनकी बिजली संबंधित कार्यों की कुशलता के अनुसार (01 कुशल, 02 अर्द्ध-कुशल उत्तर 02 अकुशल) को रखाना होगा, जिससे रखारखाव का कार्य सुचारू २५प से चल सके। ठेकेदार मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या शवन निर्माण कार्य उत्तर भूमिशत केवल कार्य के नियोजन के श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शुगतान करना होगा उत्तर कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर, ठेका अधिनियम उत्तर अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। इन नियमों के अनुसन्धान जो श्री अभिलेख संदारित किये जाते हैं वे श्री संदारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।
  - (ii) निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का शुगतान रखारखाव कर्मियों को होना संभव न हो तो उसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
  - (iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखारखाव कर्मी को ठेके के द्वौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में आथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी।
  - (iv) 33/0.433 के बीच विद्युत सब स्टेशन के चालन उत्तर रखा-रखाव कार्य, 100 के बीच तक 62.5 के बीच तक 26 के बीच तक डीजल जनरेटर के चालन उत्तर रखा-रखाव कार्य, संस्थान परिशर अन्तर्गत पुला.टी. /उच.टी., औ.उच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय शवनों में लगी विद्युत सामग्री के रखा-रखाव का कार्य के अनुसन्धान उत्तर २५प से प्रशिक्षित रखारखाव कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायगा। कुशल रखारखाव कर्मियों के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आदि के प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
  - (v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखारखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक दृव्यांती चार्ट भी उस माह की उक तारीख को सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक रखारखाव कर्मियों को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा।
  - (vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखारखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालिनता का व्यवहार करेंगे। यदि रखारखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को उससे रखारखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा उत्तर उसके स्थान पर दूसरे रखारखाव कर्मियों की दृव्यांती लगानी होगी।
  - (vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखारखाव कर्मियों को कार्य के द्वौरान आथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चौट पहुँचती हैं/आकस्मिक निधन होता है उत्तर श्रम नियमों के अनुसन्धान यदि रखारखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति शुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी श्री व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।
  - (viii) ठेकेदार अपने रखारखाव कर्मियों में से किसी उक को अपने प्रतिनिधि के अपने प्रतिनिधि के स्थान पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नौटिस, समरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत समर्पक में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारू २५प से संचालित किया जा सके।
  - (ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखारखाव कर्मियों को प्रतिमाह नियमानुसार शुगतान करके, शुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन उक्त माह के अन्दर करवाकर देना होगा ।

#### (14). कार्य का विस्तृत विवरण :

(a) विद्युत सब स्टेशन का चालन उवं रख-रखाव : ठेकेदार, विद्युत सब स्टेशन में स्थापित सभी उपकरणों की साफ-सफाई तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा । खासतौर से उसे उपकरण जो कि पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । संस्थान परिसर में स्थित 33 के बड़ी लाईन / केबल में किसी प्रकार की आशंका आने पर ठेकेदार द्वारा शीघ्र निराकरण व मरम्मत कार्य करना होगा, इसमें लगने वाली सामग्री ऐसे केबल, वायर व जवाईट किट आदि संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी । दूल ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर लाने होंगे । ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि इलेक्ट्रिक पैनल के इलेक्ट्रोड्स आदि की साफ-सफाई रखे तथा सभी उपकरणों के नट-बॉल्ट आदि टार्ड रखे । फ्लूज वायर, रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक आईल तथा बीस, कील, नट-बॉल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़ कर सभी सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी । रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/दूल किट ठेकेदार द्वारा आपने व्यय पर ही रखी जावेगी ।

(b) स्ट्रीट उवं केम्पस लाईट का चालन उवं रख-रखाव : ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि संस्थान परिसर अन्तर्गत सभी स्ट्रीट लाईट, केम्पस लाईट चालू हालत में रहे । आश्यकता पढ़ने पर ठेकेदार द्वारा केबल वायर, तार, बल्व, चौक, स्टार्टर आदि बदले जायेंगे । इस कार्य हेतु फ्लूज वायर, आईल उवं बीस, कील, नट-बॉल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर समस्त सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी । रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/दूल किट ठेकेदार द्वारा आपने व्यय पर ही रखी जावेगी ।

(c) आवासीय उवं गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन उवं सामग्री का रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन, सभी विद्युत प्वार्डट, पावर प्वार्डट तथा उनमें लगे विद्युत सामग्री - पंखों, रेव्युलेटर, बल्व, दयूब लाईट, उच्जास्ट फेन आदि चालू हालत में रखने होंगे उवं आवश्यकता पड़ने पर लाईन बदलना, पंखो, दयूब लाईट आदि को बदलने उवं उनका रोजमर्रा का रख-रखाव का कार्य जिसमें पंखो, उच्जास्ट फेन आदि की आईलिंग उवं बीसिंग बुश बियरिंग आदि बदलने का कार्य श्री शामिल है, करना पड़ेगा । संस्थान में आवश्यकतानुसार नये पाइप्टों की वायरिंग करना व लगाने का कार्य श्री ठेकेदार को करना होगा, इसके लिये सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी । फ्लूज वायर, आईल उवं बीस, कील, नट-बॉल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर जो श्री सामग्री लगेगी वह संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी । पंखो की आईलिंग जलने पर यह कार्य संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा । इसी प्रकार विद्युत मीटर की रोजमर्या की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । विशेष मरम्मत संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा । ठेकेदार को आवासीय/गैरआवासीय भवनों की मासिक शीडिंग में संस्थान के कर्मचारियों की मदद करनी होगी रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/दूल किट ठेकेदार द्वारा आपने व्यय पर ही रखी जावेगी ।

(d) डीजल जनरेटर सेट का चालन उवं रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को विद्युत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर निवेशक अधिकारी के निर्देश पर जनरेटर सेट चलाकर विद्युत प्रदाय करना होगा । जनरेटर सेट हेतु डीजल संस्थान द्वारा प्रदाय किया जायेगा । ठेकेदार जनरेटर के रोजमर्रा के रख-रखाव और आयलिंग आदि के लिए श्री जिम्मेदार होंगे ।

#### (15) अण्डार सामग्री उवं पार्ट्स :

रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु कंडिका (14) में उल्लेखित सामग्री को छोड़कर अन्य अण्डार सामग्री उवं पार्ट्स, फिटिंग्स आदि संस्थान द्वारा प्रदाय किये जायेंगे । परन्तु, इन सामग्री, पार्ट्स हेतु ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति अधिकारी को लिखित में सामग्री उवं पार्ट्स के पूर्ण विवरण सहित सूचना देनी होगी ।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

**(16) शिकायतों का निराकरण :**

आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत शिकायतों हेतु उक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें कि रहवासियों/कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जावेगी । ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि रोजमर्रा की सभी शिकायतों को छः घंटे के अंदर ठीक किया जावे उवं इस कार्य हेतु पर्याप्त रखरखाव कर्मी रखे जावे । यदि ठेकेदार द्वारा शिकायतों को ठीक करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो इसको ठेके का उल्लंघन माना जावेगा उवं उक्त कार्य ठेकेदार के व्यय पर करा लिया जावेगा । साथ ही प्रत्येक उसे कराये गये कार्य के लिए, कार्य के महत्व के अनुस्पष्ट जुर्माना किया जावेगा जो कि ₹. 1000/- प्रति प्रकरण तक हो सकती है । उक्त व्यय उवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जावेगी । इस संबंध में निवेशक का निर्णय अंतिम उवं बंधनकारी होगा ।

**(17) उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :**

**(i)** ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्ति के उपरान्त सभी उपकरण आदि चालू उवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेंगे । उसे उपकरण जो कि चालन उवं रख-रखाव हेतु ठेकेदार को सौंपे गये हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।

**(ii)** स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी । यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा उवं कार्य पर किया गया व्यय ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा । साथ ही प्रत्येक उसे प्रकरण में ₹. 1000/- का जुर्माना श्री किया जायेगा ।

**(iii)** यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेंस सिक्योरिटी से काटी जावेगी । यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेंस सिक्यूरिटी से श्री ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया अ-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जायेगा ।

**(18) उम.पी.ई.बी. से सामन्जस्य :** किसी प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु उच.टी. लाईन को बन्द करने हेतु उम.पी.ई.बी. से सम्पर्क करने की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी ।

**(19) लाईसेन्स फी उवं अन्य प्रभार :** उम.पी.ई.बी. को नियमों के अनुस्पष्ट देय लाईसेन्स फी उवं अन्य प्रभार की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी ।

**(20) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित संस्क्रम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान :

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 20 तक का अलीशांति आध्ययन कर लिया गया है  
उवं उनको अलीशांति समझ लिया गया है उवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

स्थान :

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

अवाह -

(1) हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....  
फोन नं. : .....

(2) हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....  
फोन नं. : .....